TABLE OF CONTENT

1. Sort title and commencement

2. Definition

3. Annual Reduction Targets for Revenue Deficit and Fiscal Deficit Section 4(3)(b)(c)

4. Medium Term Fiscal Restructuring Policy Statement 7(2)(a)

5. Fiscal Indicators 7(2)(a)

6. Disclosures

7. Measures to enforce compliance section 6(2)

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1
संख्या : बी–1–4529 / दस–2006–14 / 1–2002
लखनऊ : दिनांक : 30 अक्टूबर, 2006

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध नियमावली, 2006

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004) की धारा 7 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थात :–

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियमावली, 2006

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1– (1) ये नियमावली उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियमावली, 2006 कही जायेगी ।

(2) ये गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2– इन नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004) से है,
(2) "प्रपत्र" का तात्पर्य इन नियमों में संलग्न किसी प्रपत्र से हैं,
(3) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम किसी धारा से है,
(4) "रिपोर्टिंग वर्ष" का तात्पर्य जिस वर्ष के लिये आय–व्ययक अनुमान राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जायें, उस वर्ष के पूर्ववर्ती द्वितीय वर्ष से है,
(5) ''शब्दों और पदों'' जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगें जो उनके लिए उस अधिनियम में दिये गये हैं ।

राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में कमी के वार्षिक लक्ष्य धारा, 4(3)(ख) (ग)

3– राज्य सरकार निम्नलिखित प्रयास करेगी –

(1) वर्ष 2005–2006 से 2008–09 तक प्रत्येक वर्ष राजस्व घाटे में प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.7 प्रतिशत की कमी लाना, ताकि वर्ष 2008–09 तक राजस्व घाटा शून्य हो जाये ।

(2) वर्ष 2005–2006 से वर्ष 2008–09 तक प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.77 प्रतिशत की कमी लाना ताकि वर्ष 2008–09 तक राजकोषीय घाटा प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक कम हो जाये ।

मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति विवरण, धारा 7(2) (ख)

4– राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिये वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांगों सहित मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति विवरण प्रपत्र 'क' में होगा। इस विवरण में राजकोषीय नीति रणनीति तथा प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विकास दर में प्रवृत्ति का ब्यौरेवार विवरण भी होगा ।

राजकोषीय संकेतक धारा 7(2)(क)

5– (1) मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति विवरण में निम्नलिखित राजकोषीय संकेतकों के सम्बन्ध में पाँच वर्षों के चल लक्ष्य ऐसे होगें, जो प्रपत्र 'क' में दिये गये हैं, अर्थात्:–

(क) प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राज्य का स्वयं का कर एवं करेतर राजस्व,

(ख) प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा

(ग) प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा

(घ) प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकार की कुल बकाया उधार ।

(2) उच्च प्राथमिकता विकास व्यय का विवरण मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति में सम्मिलित किया जायेगा ।

(3) मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति में राजकोषीय नीति रणनीति विवरण एक पृथक खण्ड के रूप में दिया जायेगा । वार्षिक लक्ष्यों और बजट अनुमानों के सापेक्ष प्राप्तियों और व्यय के रूझानों के मूल्यांकन हेतु अंतःवार्षिक लक्ष्य भी इस खण्ड में होंगे ।

प्रकटन

6— (1) राज्य सरकार, लोक हित में अपनी राजकोषीय संक्रियाओं में और अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिये आय—व्ययक प्रस्तुत करते समय, निम्नलिखित का प्रकट करेगी :—

(क) विहित राजकोषीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित करने वाले या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाले लेखामानकों, नीतियों और व्यवहारों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ख) प्रपत्र ख—1 में राज्य के स्वयं के कर और करेतर राजस्व के अवशेषों का विवरण;

(ग) प्रपत्र ख—2 एवं ख—3 में राज्य सरकार द्वारा वितरित ऋणों और अग्रिमों के सापेक्ष अतिदेयों का विवरण;

(घ) प्रपत्र ख—4 में प्रत्याभूतियों का विवरण;

(ङ) प्रपत्र ख—5 में सार्वजनिक उपक्रमों में वित्तीय परिणामों का विवरण;

(च) वृहद् कार्यों एवं अनुबंधों के संबंध में दायित्वों एवं प्रतिबद्धताओं का विवरण प्रपत्र ख—6 में;

(छ) सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या एवं संबंधित वेतन का ब्यौरा देने वाले विवरण प्रपत्र ख—7 में;

(ज) सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या एवं संबंधित वेतन का ब्यौरा देने वाले विवरण प्रपत्र ख—8 में;

(झ) अनुदानित संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या एवं संबंधित वेतन का ब्यौरा देने वाले विवरण प्रपत्र ख—9 में;

(2) प्रपत्र ख—1,ख—2,ख—3,ख—4,ख—5,ख—6,ख—7,ख—8 एवं ख—9 में विवरण जिस वर्ष के लिये बजट अनुमान राज्य विधान—मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाये उससे पूर्ववर्ती दो वर्ष के सम्बन्ध में तैयार किये जायेगें ।

अनुपालन न्पवर्तित करने के उपाय धारा 6(2)

7— वित्तीय वर्ष 2004—2005 से आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष की छःमाही की समाप्ति पर धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन प्रपत्र ''ग'' में प्राप्तियों और किये गये व्यय के रूखों की छःमाही समीक्षा के निष्कर्षों से यदि यह दर्शित होता हो कि—

(क) कुल गैर उधार प्राप्तियाँ उस वर्ष के बजट प्राक्कलन के पच्चीस प्रतिशत से कम हैं, या

(ख) राजकोषीय घाटा उस वर्ष के बजट प्राक्कलन के चालीस प्रतिशत से अधिक है, या

(ग) राजस्व घाटा उस वर्ष के बजट प्राक्कलन के चालीस प्रतिशत से अधिक है तो,

(एक) राज्य सरकार धारा–6 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित समुचित उपाय करेगी; और

(दो) धारा–6 की उपधारा(2) की अपेक्षानुसार वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री, प्रत्येक छःमाही की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् के सत्र के दौरान किये गये सुधारात्मक उपायों और उस वित्तीय वर्ष के राजकोषीय घाटे के लिये संभावनाओं का ब्यौरा देते हुए विधान–मण्डल में कथन करेगा।

आज्ञा से

शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्रपत्र–क
(नियम 4 देखें)

मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति विवरण

क. राजकोषीय रूपरेखा

1. राज्य वित्त

मद	चालू वर्ष के संशोधित प्राक्कलन	आगामी वर्ष का लक्ष्य बजट प्राक्कलन	अगले तीन वर्षों के लिये लक्ष्य		
			वर्ष+1	वर्ष+2	वर्ष+3
1–राजस्व प्राप्तियाँ(2+3) 2–कर राजस्व 3–करेतर राजस्व 4–पूँजी प्राप्तियाँ(5+6) 5–ऋणों की वसूली 6–लोक ऋण 7–कुल प्राप्तियाँ(1+4) 8–राजस्व व्यय जिसमें 9–ब्याज संदाय 10–वेतन 11–वेतन के लिये सहायता अनुदान 12–पूंजी व्यय के लिए सहायता अनुदान 13–स्थानीय निकायों को समनुदेशन 14–अन्य सहायता अनुदान 15–पूँजी व्यय जिसमें 16–पूंजीगत परिव्यय 17–ऋण का प्रतिसंदाय 18–उधार और अग्रिम 19–कुल व्यय (8+15) 20–राजस्व घाटा (8–1) 21–राजकोषीय घाटा {(19–17)–(7–6–5)} 22–प्राथमिक घाटा (21–9)					
2– राजकोषीय संकेतक					
1.सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य का स्वयं का कर राजस्व					
2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य का स्वयं का करेतर राजस्व					
3. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा					
4. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा					
5. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल उधार एवं अन्य दायित्व					

ख. मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति निरूपणों में निहित पूर्व अनुमान –

1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद

आधार वर्ष को उल्लिखित करते हुए वृद्धि तथा चालू राजकोषीय वर्ष के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्राक्कलनों को देते हुए, आगामी वर्षों के लिये पूर्व अनुमानित वृद्धिदर को स्पष्ट करना होगा।

2. राजस्व प्राप्तियाँ– इस पैरा के अधीन निम्न को स्पष्ट करना होगा –

(क) कर राजस्व :– सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के सापेक्ष राज्य करों में अपेक्षित वृद्धि दर तथा ऐसे विशेष उपायों का विवरण जिनके द्वारा कर राजस्व संवर्धन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो । कराधान संबंधी नीतियों को भी रेखांकित किया जाएगा।

(ख) करेतर राजस्व–लागत वसूली के सम्बन्ध में नीतिगत स्थिति

3. पूँजी प्राप्तियॉं–निम्नलिखित को निरूपित करने हेतु पूर्व अनुमानों तथा सम्बन्धित नीतिगत स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगाः–

(क) केन्द्र से ऋण एवं अग्रिम
(ख) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ
(ग) बाजार ऋण
(घ) ऋण और अग्रिम की वसूली
(ड) वित्तीय संस्थाओं से ऋण
(च) अन्य प्राप्तियाँ (शुद्ध)
(छ) अन्य दायित्व

4. कुल व्यय– व्यय के संबंध में राज्य सरकार की नीतियों को रेखांकित करते हुए निम्न को विनिर्दिष्ट रूप से स्पष्ट किया जायेगा –

(क) राजस्व लेखा
- (एक) ब्याज के संदाय
- (दो) सहायता अनुदान
- (तीन) वेतन
- (चार) पेंशन
- (पाँच) अन्य

(ख) पूँजी लेखा
- (एक) ऋण और अग्रिम
- (दो) पूँजी परिव्यय
- (तीन) ऋणों का प्रतिदान

(ग) उच्च प्राथमिकता विकास व्यय – उच्च प्राथमिकता विकास व्यय के रूप में अभिज्ञानित व्यय के मदों की विभागवार और योजनावार सूची को सारिणीबद्ध प्रपत्र में संलग्न करना होगा । चालू वर्ष के संशोधित प्राक्कलनों के अतिरिक्त आगामी वर्ष और अगले तीन वर्ष के निरूपणों को उसी प्रकार देना जिस प्रकार अन्य राजकोषीय संकेतकों के चललक्ष्य के मामले में दिया जाता है । सरकार राजस्व में कमी होने बावजूद इन व्ययों में कटौती से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपाय करेगी ।

विभाग का नाम और अनुदान संख्या	योजना का नाम और कोड	चालू वर्ष का संशोधित प्राक्कलन	बजट प्राक्कलन	अगले तीन वर्षों के लक्ष्य		
				वर्ष+1	वर्ष+2	वर्ष+3

(घ) निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का निर्धारण–

(एक) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन– मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिये अपेक्षित परिवर्तनों के निर्धारण सहित चालू वर्ष और पश्चात्वर्ती चार वर्षों के लिये कर–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, स्वकर–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एवं केन्द्रीय करों में राज्यांश–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। राजस्व प्राप्तियों का निर्धारण बनाई गयी नीतियों के अनुसार किया जायेगा। इसमें करेतर राजस्व और उससे संबद्ध–नीतियों पर विचार–विमर्श किया जायेगा। आयोजनागत और आयोजनेतर राजस्व लेखा व्यय भी संपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिये प्रस्तावित उपायों पर विशिष्ट महत्व देकर विचार–विमर्श किया जाएगा ।

(दो) उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये बाजार उधार को सम्मिलित करते हुये पूँजी प्राप्तियों का उपयोग– मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण में विभिन्न वर्गों के उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये पूँजी प्राप्तियों का प्रस्तावित उपयोग विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा । इसमें इन वर्गों के बीच प्रस्तावित परिवर्तनों का भी उल्लेख किया जाना होगा और सरकार की संपूर्ण नीति के निबंधनों के अनुसार विचार–विमर्श भी किया जा सकेगा।

(तीन) आगामी दस वर्षों के लिये बीमांकिक आधार पर पायी गयी प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व– यदि अधिनियम के पारित होने के तीन वर्षों की अवधि के दौरान बीमांकिक आधार पर पेंशन देयताओं का आकलन करना सम्भव न हो, तो प्रथम तीन वर्ष की अवधि में, पेंशन में रूझान वृद्धि दर के आधार पर पूर्विकताएं निर्धारित की जायें। इस प्रयोजन के लिये, पिछले पाँच वर्षों की अवधि में पेंशन पर हुए वास्तविक व्यय में औसत वृद्धि दर को रूझान वृद्धि दर माना जायेगा।

(ड)राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

(क) राजकोषीय नीति का विहंगावलोकन– इस प्रस्तर में वर्तमान में प्रचलित राजकोषीय नीति का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति–इस प्रस्तर में अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित से संबंधित छः उपप्रस्तर होंगें–

(1) कर नीति

कर नीति से संबंधित उपप्रस्तर में आगामी वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में पुरःस्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख किया जायेगा। इसमें विभिन्न करों में छूट की सीमाओं तथा यह छूट विषयक सिद्धान्तों तथा लक्ष्य समूहों से कितना संबंधित है, का निर्धारण होगा ।

(2) व्यय नीति

व्यय नीति के अधीन व्यय के आवंटन में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन उपदर्शित किये जायेगें। इसमें हितधारियों के फायदे और लक्ष्य समूह विषयक सिद्धांतों का निर्धारण भी होगा। व्यय की प्राथमिकताओं से सम्बन्धित सिद्धान्तों का विवरण देते हुये "उच्च प्राथमिकता " वाले विकास व्यय चिहिन्त किये जायेगें।

(3) उधार और अन्य दायित्व, उधार देना और विनिधान

उधारों से संबंधित इस उपप्रस्तर में आंतरिक ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट सुविधा, सरकार के उधार देने, विनिधान और अन्य क्रियाकलाप तथा औसत परिपक्वता संरचना, प्रतिसंदायों के समूह आदि के बारे में सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए, से संबंधित नीति उपदर्शित की जायेगी।

(4) आकस्मिक और अन्य दायित्व

आकस्मिक और अन्य दायित्वों और विशिष्टतया ऐसी प्रतिभूतियों, जिनमें संभाव्य बजट विवक्षाएं हों, पर नीति में कोई परिवर्तन उपदर्शित किया जायेगा।

(5) प्रयोक्ता प्रभारों का अधिरोपण

सार्वजनिक सुविधाओं के प्रभार के अधिरोपण में प्रस्तावित किसी नीति परिवर्तन को उपदर्शित किया जायेगा।

(ग) – आगामी वर्ष के लिये योक्तिक पूर्विकतायें

1 कर, करेतर और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष के लिये संसाधन जुटाने का उल्लेख किया जायेगा।
2 आगामी वर्ष के दौरान व्यय प्रबन्ध में निहित व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया जायेगा।
3 आगामी वर्ष के दौरान प्रस्तावित लोक ऋण के प्रबंध से सम्बन्धित प्राथमिकतायें उपदर्शित की जायेंगी।

(घ) – नीतिगत परिवर्तनों के लिये युक्ति संगतताः

1 आगामी बजट में प्रस्तावित करों की बाबत मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण से संगत नीतिगत परिवर्तनों के लिये युक्तिसंगतता का उल्लेख किया जायेगा।
2 बजट व्यय जिनके अंतर्गत सहायता अनुदान तथा पेंशन पर व्यय भी हैं, की बाबत मुख्य नीतिगत परिवर्तनों के लिये युक्तिसंगतता उपदर्शित की जायेगी।
3 लोक ऋण के प्रबंध में प्रस्तावित परिवर्तनों, यदि कोई हो, के लिये युक्तिसंगतता उपदर्शित की जायेगी।
4 सार्वजनिक उपयोगिताओं के प्रभार के सम्बन्ध में प्रस्तावित परिवर्तन, यदि कोई हो, के लिये आवश्यकता का उल्लेख किया जायेगा।

(ड) – नीति मूल्यांकनः

इस प्रस्तर में राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में कमी और मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति विवरण में उपवर्णित उद्देश्यों के सन्दर्भ में आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों का मूल्यांकन अंतर्विष्ट होगा।

(च) – सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विकास से सम्बन्धित विवरण

इस प्रस्तर में विकास दरों में रूझान का संक्षिप्त विश्लेषण अन्तर्विष्ट होगा । इसमें भूत एवं वर्तमान वृद्धि दरों के साथ–साथ भविष्य की सम्भाव्यताओं का उल्लेख करते हुए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के रूझान का विश्लेषण भी अन्तर्विष्ट होगा ।

प्रपत्र ख–1
(नियम 6 देखें)

राज्य के बकाये स्वकर और करेतर राजस्व का विवरण

(लाख रूपयों में)

31 मार्च,.......................... को

क्रमांक	मद	रिपोर्टगत वर्ष की 01 अप्रैल को अवशेष राशि	रिपोर्टगत वर्ष के दौरान वसूली गयी अथवा अपील में कम की गयी अथवा स्तम्भ (3) के विरूद्ध अपलिखित की गयी राशि	पुराने अवशेषों के सापेक्ष बकाया (3) - (4)	रिपोर्टगत वर्ष में समुत्थापित मांग
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**

स्तम्भ(6) में प्रदर्शित राशि के विरूद्ध वसूल की गयी / अपील में कम की गयी / अपिलिखित की गयी राशि	स्तम्भ(6) में प्रदर्शित राशि के विरूद्ध वसूल किये जाने हेतु अवशेष राशि (6)-(7)	कुल मांग (3) + (6)	कुल वसूल की गयी/अपील में कम की गयी अथवा अपलिखित राशि (4) + (7)	रिपोर्टगत वर्ष की समाप्ति पर कुल अवशेष राशि (9) - (10)
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**

स्तम्भ–11 में दी गयी राशि से संबंधित विवरण				वसूली योग्य अवशेष राशि (11-15)
आस्थगित अथवा निलंबित राशि		सरकारी कार्यालयों के विरूद्ध अवशेष	अपलिखित की जाने वाली अवसूलनीय राशि	
न्यायालयों द्वारा	सरकार के आदेशों द्वारा			
(12)	**(13)**	**(14)**	**(15)**	**(16)**

प्रपत्र ख–2

(नियम 6 देखें)

राज्य सरकार द्वारा वितरित ऋणों और अग्रिमों, जिनके लेखे महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा रखे जाते हैं, के विरूद्ध अतिदेयों का विवरण

(धनराशि लाख रूपयों में)

31 मार्च, ... को

क्रमांक	ऋणी संस्था/ प्रायोजना/ योजना	रिपोर्टगत वर्ष की 01 अप्रैल को अतिदेय		रिपोर्टगत वर्ष के दौरान समुत्थापित मांग	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**

कुल ड्यू राशि		रिपोर्टगत वर्ष के दौरान वसूलियाँ		अतिदेय	
मूलधन (3)+(5)	ब्याज (4)+(6)	मूलधन	ब्याज	मूलधन (7)-(9)	ब्याज (8)-(10)
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**

प्रपत्र ख–3

(नियम 6 देखें)

राज्य सरकार द्वारा वितरित ऋणों और अग्रिमों, जिनके लेखे विभागाध्यक्षों द्वारा रखे जाते हैं, के विरूद्ध अतिदेयों का विवरण

(धनराशि लाख रूपयों में)

31 मार्च, ... को

भाग–1 विभागवार सारांश

क्रमांक	विभाग	अतिदेय राशि रिपोर्टगत वर्ष की 01 अप्रैल को		स्तम्भ(3) एवं (4) में प्रदर्शित राशियों के विरूद्ध रिपोर्टगत वर्ष मे वसूल की गई धनराशि	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**

रिपोर्टगत वर्ष के दौरान समुत्थापित मांग		स्तम्भ(7) एवं (8) में प्रदर्शित राशियों के विरूद्ध वसूल की गयी राशि		रिपोर्टगत वर्ष के अन्त में अतिदेय धनराशि	
मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन (3)+(7)–[(5)+(9)]	ब्याज (4)+(8)–[(6)+(10)]
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**

भाग–II विभाग एवं योजनावार विवरण

(धनराशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग एवं योजना	अतिदेय राशि (रिपोर्टगत वर्ष के 01 अप्रैल को)		स्तम्भ (3) एवं (4) में प्रदर्शित अवशेषों के विरूद्ध रिपोर्टगत वर्ष के दौरान वसूली	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	विभाग				
	योजनाएं				
1.1	योजना का नाम				
1.2	योजना का नाम				
....	....				
	योग विभाग (1)				
2.	विभाग				
	योजनाएं				
2.1	योजना का नाम				
2.2	योजना का नाम				
.....	....				
	योग विभाग (2)				

रिपोर्टगत वर्ष के दौरान समुत्थापित मांग		स्तम्भ(7) एवं (8) में प्रदर्शित राशियों के विरूद्ध वसूली गयी राशियां		रिपोर्टगत वर्ष की समाप्ति पर अतिदेय राशि	
मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन (3)+(7) - [(5)+(9)]	ब्याज (4)+(8) - [(6)+(10)]
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**

प्रपत्र – 4 ख
(नियम 6 देखें)
सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण

(धनराशि लाखों में)

विभाग एवं संस्था	रिपोर्टगत वर्ष के प्रारम्भ में प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि	रिपोर्टगत वर्ष के दौरान प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि	रिपोर्टगत वर्ष प्रारम्भ में बकाया	रिपोर्टगत वर्ष के दौरान स्वीकृत नई प्रत्याभूतियाँ	रिपोर्टगत वर्ष के दौरान उन्मोचित प्रत्याभूतियों की धनराशि (वर्ष के दौरान मांगी गयी प्रत्याभूति से भिन्न)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

रिपोर्टगत वर्ष के दौरान मांगी गयी गयी प्रत्याभूति की धनराशि		वर्ष की समाप्ति पर बकाया	प्रत्याभूति शुल्क		अभ्युक्ति
उन्मोचित	अनुन्मोचित	(4)+(5)–[(6)+(7)]	प्राप्य	प्राप्त किया गया	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

प्रपत्र ख–5
(नियम 6 देखें)

राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के वित्तीय परिणाम

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्रमांक	विभाग	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	निगमित होने की तिथि
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**

लेखों की अवधि	चुकता पूंजी	शुद्ध लाभ(+)/हानि(–)	संचित लाभ(+)/हानि(–)
(5)	**(6)**	**(7)**	**(8)**

प्रपत्र ख–6
(नियम 6 देखें)

वृहद कार्यों एवं संविदाओं से संबंधित सरकार का दायित्व जहां राज्य सरकार की कुल देयता अथवा प्रतिबद्धता रूपये 100 करोड़ अथवा अधिक हो

(धनराशि लाख रूपयों में)

विभाग	कार्य / संविदा का विवरण	कार्य/संविदा के प्रारम्भ एवं समाप्त होने की सम्भावित तिथियां	राज्य सरकार का कुल दायित्व	31 मार्च .... को राज्य सरकार का कुल दायित्व
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
योग				

प्रपत्र ख–7
(नियम 6 देखें)

.... को सरकारी कर्मचारियों का विवरण

क्रमांक	विभाग	स्वीकृत पदों की संख्या		
		राजपत्रित	अराजपत्रित	योग
1	2	4	5	6
	योग			

टिप्पणी – वेतन और भत्तों पर व्यय का विवरण इस प्रपत्र के संलग्नक में दिया गया है ।

प्रपत्र ख–7 का संलग्नक

सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर व्यय का विवरण

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्रमांक	अनुदान संख्या/विभाग	वेतन और भत्तों पर व्यय
1		मूल वेतन .... महंगाई भत्ता .... अन्य भत्ते .... योग ....
2		
3		
4		
	योग –	मूल वेतन .... महंगाई भत्ता .... अन्य भत्ते .... योग ....

प्रपत्र ख–8

(नियम 6 देखें)

.... को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का विवरण

क्रमांक	प्रशासकीय विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	कर्मचारियों की संख्या	वर्ष के दौरान वेतन और भत्तों पर किया गया व्यय (लाख रूपयों में)
1	2	3	4	5
1	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम		
		सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का योग		
		सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम		
		सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का योग		
2				
महायोग				

प्रपत्र ख–9
(नियम 6 देखें)
.... को सहायतित संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

क्रमांक	प्रशासकीय विभाग	सहायतित संस्थाओं की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	वर्ष के दौरान वेतन एवं भत्तों पर किया गया व्यय (लाख रूपयों में)
1	2	3	4	5
महायोग				

प्रपत्र ग
(नियम 7 देखें)
अर्धवार्षिक समीक्षा

वर्ष .... छमाही(प्रथम / द्वितीय) ....
(रूपये करोड़ में)

मद	बजट अनुमान	रूझानों के अनुसार अपेक्षित स्थिति /1	वास्तविक स्थिति	अपेक्षित स्तर के प्रतिशत के रूप में वास्तविक आँकड़े /2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(अ) गैर उधार प्राप्तियॉ 1 राज्य का स्वयं का कर 2 करेतर राजस्व 3 केन्द्रीय करों में राज्यांश 4 केन्द्र सरकार से अनुदान				
5 कुल राजस्व प्राप्तियॉ				
6 उधार एवं अग्रिम की वसूली				
7 कुल गैर उधार प्राप्तियाँ				
(ब) व्यय				
8 राजस्व व्यय				
9 पूंजीगत परिव्यय				
10 उधार एवं अग्रिम				
11 कुल व्यय				
(स) राजस्व घाटा/3				
(द) राजकोषीय घाटा/3				

टिप्पणी–

1. पहली छमाही प्राप्तियों और व्ययों के अपेक्षित स्तर का निर्धारण गत तीन वर्षों में बजट अनुमानों के सापेक्ष रूझानों तथा रिपोर्टगत वर्ष में रूझानों के आधार पर किया जायेगा।
2. प्रथम छमाही की समीक्षा हेतु ये प्रतिशत स्तम्भ (3) के सापेक्ष तथा द्वितीय छमाही हेतु स्तम्भ (2) के सापेक्ष आकलित किये जायेंगे और द्वितीय छमाही की समीक्षा के समय स्तम्भ (3) को रिक्त छोड़ दिया जायेगा।
3. वर्ष के द्वितीय छःमाही के लिए राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे की रिपोर्ट दी जाएगी।

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2006

NOTIFICATION
Lucknow, October 30, 2006

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication fo the following English translation of notification noB-1-4529/X-2006/14/1/2006 dated October 30, 2006:

No.B-1-4529/X-2006/14/1/2006
Dated Lucknow, October 30, 2006

In exercise of the powers under section 7 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 (U.P.Act no. 5 of 2004), the Governor is pleased to make the following rules, namely :-

Short title and commencement

1- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2006.

(2) They shall come into force with effect from the day of their publication in the Gazette.

Definitions

2- In these rules, unless the context otherwise requires -

(1) "Act" means the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 (U.P. Act no.5 of 2004);
(2) "Form" means a form appended to these rules;
(3) "Section" means a section of the Act;
(4) "Reporting year" means the second year preceding the year for which the budget estimates are presented before the State Legislature.
(5) "words and expressions" used in these rules but not defined and defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

Annual Reduction Targets for Revenue Deficit and Fiscal Deficit Section 4(3)(b)(c)

3-The state Govt. shall endeavor to -
(1) bring down revenue deficit by 0.7 percent of Gross State Domestic Product at current prices every year from 2005-06 to 2008-09 so that it becomes nil by the end of the year 2008-2009 .
(2) bring down fiscal deficit by 0.77 percent of Gross State Domestic Product at current prices every year from 2005-06 to 2008-09 so that it comes down to 3 percent of Gross State Domestic product at current prices by the end of the year 2008-09.

Medium Term Fiscal Restructuring Policy Statement 7(2)(b)

4-The Medium Term Fiscal Restructuring Policy Statement required to be laid before both Houses of the Legislature by the State Government along with the annual financial statement and demands for grants shall be in Form A. The statement shall also contain a detailed account of fiscal policy strategy and trends in the Growth of Gross State Domestic product at current prices.

Fiscal Indicators 7(2)(a)

5- (1) In the Medium Term Fiscal Restructuring Policy Statement, five year rolling targets in respect of the following fiscal indicators shall be as given in Form A, namely:-

(a) Own tax and non tax revenue as percentage of Gross State Domestic Product at current prices;
(b) revenue deficit as percentage of Gross State Domestic Product at current prices;
(c) fiscal deficit as percentage of Gross State Domestic Product at current prices;
(d) total outstanding debt of the State Government as percentage of Gross Statc Domestic Product at current prices.

(2) A statement of High Priority Development Expenditure shall be included in the Medium Term Fiscal Restructuring policy.

(3) The Fiscal Policy Strategy Statement shall be given in the Medium Term Fiscal Restructuring Policy as a separate section. This section shall also contain the intra-year benchmarks for assessing the trends in receipts and expenditure relating to annual targets and Budget Estimates.

Disclosures

6- **(1)** **In order to ensure greater transparency in its fiscal operation in the public interest, the State Government shall, at the time of presenting the budget, make disclosures of the following-**

(a) any significant change in accounting standards, policies and practices affecting or likely to affect the computation of prescribed fiscal indicators.

(b) statement of arrears of State's own tax and non-tax revenues in Form B-1

(c) statement of overdues against loans and advances disbursed by the State Government in Forms B-2 and B-3

(d) statement of guarantees in Form B-4

(e) statement of financial results of public enterprises in Form B-5

(f) statement of liabilities and commitments in respect of major works and contracts in Form B-6

(g) statement giving in detail the number of employees in government departments and related salary in Form B-7

(h) statement giving in detail the number of employees in the public sector and related salary in Form B-8

(i) statement giving in detail the number of employees in aided institutions and related salary in Form B-9

(2) **The statements in Forms B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-7, B-8 and B-9 shall be prepared in respect of the second year preceding the year for which the budget estimates are presented before the State Legislature.**

Measures to enforce compliance section 6(2)

7- In case the outcome of the half yearly reviews of trends in receipts and expenditure in Form C under sub-section (2) of section 6 at the end of half year of any financial year beginning with the financial year 2004-05 shows that -

(a) the total non-debt receipts are less than 25 per cent of Budget Estimates for that year; or

(b) the fiscal deficit is higher than 40 per cent of the Budget Estimates for that year, or

(c) the revenue deficit is higher than 40 per cent of the Budget Estimates for that year,then-

i. The State Government shall take appropriate measures as required under sub-section (3) of section 6, and

ii. as required under sub-section (2) of section 6, the Minister-in-charge of the Department of Finance shall make a statement in the Legislature during the session immediately following the end of the half year detailing the corrective measures taken and the prospects for the fiscal deficit of that financial year

By order,
SHEKHAR AGARWAL,
Pramukh Sachiv.

Form A
(See rule 4)
Medium Term Fiscal Restructuring Policy statement

A. **FISCAL FRAMEWORK -**

1 **State Finances**

	Revised estimates of the current year	Next year's target: budget estimates	Next three years' targets		
			year + 1	year + 2	year + 3
1 Revenue receipts (2+3) 2 Tax revenue 3 Non tax revenue 4 Capital receipts (5+6) 5 Recovery of loans 6 Public Debt 7 Total receipts (1+4) 8 Revenue Expenditure Of which 9 Interest Payment 10 Salary 11 Grant -in-aid for salary 12 Grant-in-aid for capital expenditure 13 Assignment to local bodies 14 Other Grants-in-aid 15 Capital expenditure of which 16 Capital outlay 17 Repayment of loan 18 Loans and Advances 19 Total expenditure (8+15) 20 Revenue deficit (8-1) 21 Fiscal deficit {(19-17)-(7-6-5)} 22 Primary deficit (21-9)					

2 **Fiscal Indicators**

	Revised estimates of the current year	Next year's target: budget estimates	Next three years' targets		
			year + 1	year + 2	year + 3
1-State's own taxes as percentage of Gross State Domestic Product					
2-State's own non tax revenue as percentage of Gross State Domestic Product					
3-Revenue deficit as percentage of Gross State Domestic Product					
4-Fiscal deficit as percentage of Gross State Domestic Product					
5-Total debt and other liabilities as percentage of Gross State Domestic Product					

B. <u>ASSUMPTIONS UNDERLYING THE MEDIUM TERM FISCAL RESTRUCTURING POLICY PROJECTIONS</u> -

1. **<u>Gross State Domestic Product</u>**

   Growth Mentioning the base year and the estimates of Gross State Domestic product for the current fiscal, the growth rates assumed for future years shall have to be explained.

2. **<u>Revenue receipts</u>**

   Under this paragraph the following shall have to be explained-

   (a) Tax-revenue - The anticipated growth rates in State taxes in relation to Gross State Domestic Product growth rate and detail of such special measures through which the target of tax revenue augmentation is expected to be achieved. Policy stance related to taxation shall also be outlined

   (b) Non-tax-revenue - Policy stance in relation to cost recovery

3. **<u>Capital receipts</u>** -

   The assumptions made to project the following shall be clearly mentioned along with the related policy stance

   (a) Loans and advances from the Centre
   (b) Special securities issued to the National Small Saving Fund
   (c) Market Borrowing Recovery of loans and advances
   (d) Borrowings from financial institutions
   (e) Other receipts (net) –
   (f) Other Liabilities -

4. **<u>Total expenditure</u>** -

   Outlining the State Government's policies in relation to expenditure, the following shall be specifically clarified

   (a) Revenue account
   - (i) Interest payments
   - (ii) Grants-in-aid
   - (iii) Salaries
   - (iv) Pensions
   - (v) Others.

   (b) Capital account
   - (i) Loans and advances
   - (ii) Capital Outlay
   - (iii) Repayment of Loans

C. HIGH PRIORITY DEVELOPMENT EXPENDITURE

Department wise and Scheme wise list of the items of expenditure identified as high priority development Expenditure, shall have to be annexed in a tabular Form, Apart from the current year's revised estimates budget estimates for the ensuing year and next three year's projections shall have to be given, just as in case of the rolling targets of other fiscal indicators. The Government will take necessary measures to protect these expenditures from cuts in face of revenue short fall.

Department Name and Grant No	Scheme name and code	Revised estimates of the current year	Budget estimates	Next three years' targets		
				year + 1	year + 2	year + 3

D. ASSESSMENT OF SUSTAINABILITY RELATING TO -

(i) The balance between revenue receipts and revenue expenditure. The Medium Term Fiscal Policy Statement may specify the tax-Gross State Domestic Product ratio, own tax- Gross State Domestic Product ratio and State's share in Central taxes- GSDP ratio for the current year and subsequent four years with an assessment of the changes required for achieving it. Revenue receipts will have to be determined in accordance with the policies spelt out. It may discuss the non-tax revenues and the policies concerning the same. Expenditure on revenue account, both plan and non-plan, may be also discussed with particular emphasis on the measures proposed to meet the overall objectives.

(ii) The use of capital receipts including market borrowings for generating productive assets. The Medium Term Fiscal Policy Statement may specify the proposed use of capital receipts for generating productive assets in different categories. It may also spell out the proposed changes among these categories and discuss them in terms of the overall policy of the Government.

(iii) The estimated yearly pension liabilities worked out on actuarial basis for the next ten years. In case it is not possible to calculate the pension liabilities on actuarial basis during the period of first three years after the coming into force of this Act, the estimates of the pension liabilities during the first three years shall be determined by making forecasts on the basis of trend growth rates. For this purpose average rate of growth of actual pension payments during the last five years shall be taken as the trend growth rate.

E-FISCAL POLICY STRATEGY STATEMENT

a. Fiscal Policy Overview:

This paragraph will present an overview of the fiscal policy currently in vogue.

b. Fiscal policy for the ensuing year:

This paragraph shall have, *inter alia*, six sub-paragraphs dealing with -

(1) Tax Policy

In the sub-paragraph on tax policy, major changes proposed to be introduced in direct and indirect taxes in the ensuing financial year will be presented. It shall contain an assessment of exemption limits in various taxes and how far it relates to principles regarding tax exemptions and target group for exemptions.

(2) Expenditure Policy

Under expenditure policy, major changes proposed in the allocation for expenditure shall be indicated. It shall also contain an assessment of principles regarding the benefits and target group of beneficiaries. Mentioning the principles regarding prioritizing expenditure, High Priority Development Expenditure shall be identified.

(3) Borrowings and Other Liabilities, Lending and Investments

In this sub-paragraph on borrowings, the policy relating to internal debt, Ways and Means Advances /Over Draft facility from the Reserve Bank of India, Government lending, investments and other activities; including principles regarding average maturity structure, bunching of repayments, etc., shall be indicated.

(4) Contingent and other Liabilities

Any change in the policy on contingent and other liabilities, in particular guarantees, which have potential budgetary implications shall be indicated.

(5) Levy of User Charges

Any change proposed in the levy of user charges of public services shall be spelt out.

c. Strategic priorities for the ensuing year:

(1) Resource mobilization for the ensuing financial year through tax, non-tax and other receipts shall be spelt out.

(2) The broad principles underlying the expenditure management during the ensuing year shall be spelt out.

(3) Priorities relating to management of public debt proposed during the ensuing year shall be indicated.

d. Rationale for Policy changes:

(1) The rationale for policy changes consistent with the Medium Term Fiscal Policy Statement, in respect of taxes proposed in the ensuing Budget shall be spelt out.

(2) The rationale for major policy changes in respect of budgeted expenditure including expenditure on grants-in-aid and pensions shall be indicated.

(3) Rationale for changes, if any, proposed in the management of the public debt shall be indicated.

(4) The need for changes, if any, proposed in respect of the charges for public utilities shall be spelt out.

e. Policy Evaluation:

The paragraph shall contain an evaluation of the changes proposed in the fiscal policy for the ensuing year with reference to revenue and fiscal deficit reduction and objectives set out in the Medium Term Fiscal Restructuring Policy Statement.

F-Statement Regarding Growth In Gross State Domestic Product

This paragraph shall contain a synoptic analysis of trend in growth rates. It shall also contain an analysis of trends in Gross State Domestic Product growth giving past and current growth rates along with future prospects.

FORM B-1
(See Rule 6)
Statement of arrears of State's own tax and non-tax revenues

As on 31st March -----------------

(Amount in lakh rupees)

SL. No.	Item	Outstanding due amount as on 1st April of the reporting year	Amount recovered reduced in appeal or written off against column (3), during the reporting year	Balance against old dues (3) - (4)	Demand raised during the reporting year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Amount recovered / remissioned in appeal / written off against amount shown in column (6)	Outstanding amount due to be recovered against amount shown in column (6) (6)-(7)	Total Demand (3) + (6)	Total amount recovered / remissioned in appeal or written off (4) + (7)	Total amount outstanding at the end of the reporting year (9) - (10)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Details pertaining to the amount given in column (11)				Recoverable outstanding amount (11-15)
Amount suspended or stayed		Arrears due against Govt. Offices	Unrecoverable amount to be written off	
By Courts	By Govt. Orders			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

FORM B-2
(See Rule 6)
Statement of overdues against loans and advances disbursed by the State Government, the accounts of which are maintained by the Accountant General, Uttar pradesh

As on 31st March -------------------

(Amount in lakh rupees)

SL. No.	Loanee institution / project / scheme	Over due (As on 1st April of the the reporting year)		Demand raised during the reporting year	
		Principal	Interest	Principal	Interest
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Total Amount Due		Recoveries during the reporting year		Overdue	
Principal (3)+(5)	Interest (4)+(6)	Principal	Interest	Principal (7)-(9)	Interest (8)-(10)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

FORM B-3
(See Rule 6)

Statement of overdues against loans and advances disbursed by the State Government, the accounts of which are maintained by the Heads of Departments

As on 31st March -------------------

Part I - Department wise summary

(Amount in lakh rupees)

SL. No.	Department	Overdue amount (As on 1st April of the reporting year)		Amount recovered during the reporting year against the balances shown in columns (3) and (4)	
		Principal	Interest	Principal	Interest
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Demand raised during the reporting year		Amount recovered against amounts shown in columns (7) and (8)		Overdue Amount at the end of the reporting year	
Principal	Interest	Principal	Interest	Principal (3)+(7) - [(5)+(9)]	Interest (4)+(8) - [(6)+(10)]
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Part II - Department and Scheme wise details

(Amount in lakh rupees)

SL. No.	Department and Scheme	Overdue amount (As on 1st April of the reporting year)		Amount recovered during the reporting year against the balances shown in columns (3) and (4)	
		Principal	Interest	Principal	Interest
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Department ....**				
	Schemes :				
1.1	Scheme name				
1.2	Scheme name				
....	....				
	Total Department (1)				
2.	**Department ....**				
	Schemes :				
2.1	Scheme name				
2.2	Scheme name				
.....	....				
	Total Department (2)				

Demand raised during the reporting year		Amount recovered against amounts shown in columns (7) and (8)		Overdue Amount at the end of the reporting year	
Principal	Interest	Principal	Interest	Principal (3)+(7) - [(5)+(9)]	Interest (4)+(8) - [(6)+(10)]
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

FORM B - 4
(See Rule 6)

Statement of guarantees given by the Government

(Amount in lakh rupees)

Department and Institutions	Maximum Amount Guaranteed at the beginning of the reporting year	Maximum Amount Guaranteed during the reporting year	Outstanding at the beginning of the reporting year	New guarantees sanctioned during the reporting year	Amount of guarantees discharged during the reporting year (other than those invoked during the year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Amount of guarantees Invoked during the year		Outstanding at the end of the year (4)+(5)-[(6)+(7)]	Guarantee Fee		Remarks
Discharged	Not discharged		Due	Received	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

FORM B-5
(See Rule 6)

Financial results of State Public Enterprises

(Amount in lakh rupees)

Sl. No.	Department	Name of the Public Enterprise	Date of Incorporation
(1)	(2)	(3)	(4)

Period of Accounts	Paid up capital	Net Profit (+)/ Loss (-)	Accumulated Profit(+) / Loss(-)
(5)	(6)	(7)	(8)

FORM B-6
(See Rule 6)

Government's liabilities in relation to major works and contracts in which the State Government's total liability or commitment is Rs 100 crore or more.

(Amount in lakh rupees)

Department	Description of work / contract	Dates of commencement and completion of work/contract	Total liability of the State Government	Total liability of the State Government as on 31st March ....
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total				

FORM B -7
(See Rule 6)

Statement of government employees as on-------------------------------

Sl No.	Department	No. of Sanctioned Posts		
		Gazetted	Non-Gazetted	Total
1	2	4	5	6
1. 2. 3. . . .	Department's Name			
	Grand Total			

Note : Details of expenditure on pay and allowances is given in the annexure of this Form.

Annexure to FORM B-7

Statement of expenditure on pay and allowances on government employees

(Amount in lakh rupees)

Sl No	Grant No./Department	Expenditure on pay and allowances
1		Basic Pay .... Dearness Alloance .... Other Alloawances .... Total ....
2		
3		
4		
	Total	Basic Pay .... Dearness Alloance .... Other Alloawances .... Total ....

FORM B - 8
(See rule 6)
Statement of Public Sector employees as on------------------------------

Sl. No.	Administrative Department	Name of Public Sector Undertaking	No. of employees	Expenditure incurred on pay and allowances during the year (In lakh rupees)
1	2	3	4	5
1	Department's Name	Public Sector Undertaking's Name		
		Public Sector Undertaking's Total		
		Public Sector Undertaking's Name		
		Public Sector Undertaking's Total		
2				
Grand Total				

FORM B - 9
(See rule 6)
Statement of employees working in aided institutions as on------------------------------

Sl. No.	Administrative Department	No. of aided institutions	No. of Employees	Expenditure incurred on pay and allowances during the year (In lakh rupees)
1	2	3	4	5
1				
Grand Total				

FORM **C**
(See Rule 7)
HALF YEARLY REVIEW

Year------------ **Half year (first/second)------------**

(In crore rupees)

Item	**Budget estimates**	**Expected level on the basis of trends /1**	**Actual**	**Actual numbers as percentage of expected level /2**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
(a) Non debt receipts 1 State's own taxes 2 Non tax revenues 3 State's share in central taxes 4 Grant in aid from central government				
5 Total revenue receipts				
6 recovery of loans and advances				
7 Total non debt receipts				
(b) Expenditure				
8 Revenue expenditure				
9 Capital outlay				
10 Loans and advances				
11 total expenditure				
(c) Revenue deficit/3				
(d) Fiscal deficit/3				

Note:-

1 **The expected levels of receipts and expenditure for the first half shall be determined on the basis of the trends in relation to the budget estimates in the past three years and trends in the reporting year.**

2 **These percentages, shall be worked out in relation to the column (3) ; at the time of the review of the first half year and in relation to the column (2) at the time of the review of the second half year. The column (3) shall be left blank at the time of the review of the second half year.**

3 **Revenue Deficit and Fiscal Deficit shall be reported only for the second half of the financial year.**